# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

तुलसीराम बनाम हीरानंद

ख्याः– 118/2024

| | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| /25 | पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु<br>प्रस्तुत हुई प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर<br>खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक<br>से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया<br>गया पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज न0<br>से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री हिम्मत सिंह आर० ए० एस०

प्रार्थना पत्र संख्या : 118/2024
प्रवेश तिथि : 14/5/2024

1. तुलसीराम पुत्र मूलचन्द
2. सूरज पुत्र मूलचन्द
3. नाथी देवी बेवा मूलचन्द
4. अनिता पत्नि राजकुमार
5. अमित पुत्र राजकुमार
6. निशा पुत्री राजकुमार

जातियान बागड़ा ब्राह्मण निवासी जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

—प्रार्थीगण

बनाम

छीतर पुत्र जगन्नाथ
भूरी देवी पुत्री जगन्नाथ पत्नी किशन जाति बागड़ा ग्राम बालावाला तहसील सांगानेर जिला- जयपुर
मनभर देवी पुत्री जगन्नाथ पत्नी स्व० श्री रामनारायण ग्राम सरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर
धाप्पू देवी पुत्री जगन्नाथ पत्नी हरसहाय ग्राम हरनाथ बेरीया तहसील जयपुर, जिला जयपुर
बाबूलाल पुत्र जगदीश
रामप्रसाद पुत्र जगदीश
छोटेलाल पुत्र जगदीश
लालचन्द पुत्र जगदीश
लाली देवी पत्नी मंगलाराम
ओमप्रकाश पुत्र मंगलाराम
मदनलाल पुत्र मंगलाराम
पप्पू पुत्र मंगलाराम
नाथूराम पुत्र गुल्लाराम
समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर
उप पंजीयक सांगानेर जिला जयपुर

— अप्रार्थीगण

जगदीश पुत्र प्रभात
रामप्रसाद पुत्र प्रभात
कल्याणी देवी पत्नि प्रभात
समस्त जातियान बागड़ा ब्राह्मण निवासी जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:44:10 IST
Reason: SelfAttested

— तरतीबी अप्रार्थीगण

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राज० काश्त० अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

---

निर्णय

दिनांक: 13/8/24

प्रार्थी ने एक वाद पत्र बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राज० काश्त० अधि० 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी सं. 1 ला० 6 स्वर्गीय मुलचन्द पुत्र हुक्मा के वारिसान है तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 16 ला० 18 स्व० प्रभात पुत्र चुन्नीलाल के वारिसान है, प्रभात पुत्र चुन्नीलाल का दिनांक 25/12/89 व मुलचन्द पुत्र हुक्मा का दिनांक 24/01/11 को स्वर्गवास हो चुका है। वादग्रस्त आराजी साबिक ख० न० 201 रकबा 1 बीघा व ख० न० 202 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के 2/3 हिस्सा खातेदार अप्रार्थी सं. 1 ला० 4 के पिता जगन्नाथ पुत्र महादेव ने अपना हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 9/7/1975 को प्रार्थी 1 ला० 3 के पिता व 4 ला० 6 के दादा मुलचन्द पुत्र हुक्मा व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 16 ला० 17 के पिता व 18 के पति प्रभात पुत्र चुन्नीलाल को विक्रय कर मौके पर कब्जा करा दिया। प्रार्थीगण के पूर्वज मुलचन्द पुत्र हुक्मा द्वारा साबिक ख० न० 202 में से 1/3 हिस्सा की कुल भूमि [illegible] बीघा 15 बिस्वा के 1/2 हिस्से अर्थात 3 बीघा 17.5 बिस्वा का पूर्व खातेदार जगन्नाथ से जरिये विक्रयपत्र क्रय कर प्रार्थीगण के पूर्वज मुलचन्द तथा वर्तमान मे प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि का विक्रय के आधार पर नामा० सं. 34 ग्राम जगन्नाथपुरा क्रेता मुलचन्द व प्रभात के हक मे दर्ज को तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 16/08/1976 को खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण की अपील वर्तमान मे न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष विचाराधीन है। तहसील सांगानेर मे हाल भू-प्रबन्ध सर्वेक्षण सम्वत् 2046 ला० 2065 मे साबिक ख० न० 202 के वर्तमान ख० न० 269 रकबा 0.35 हे०, 270 रकबा 0.10 हे०, 271 रकबा 1.04 हे०, 272 रकबा 0.06 हे०, 273 रकबा 0.75 हे०, 275 रकबा 0.19 हे०, 285 रकबा 0.75 हे०, 286 रकबा 0.15 हे०, 2[illegible] 0.55 हे०, 318 रकबा 0.90 हे० (कुल किता 10 कुल रकबा [illegible] हे०) बने हैं। अप्रार्थीगण 1 ला० 5 की माता [illegible] द्वारा नामा० संख्या 22 दिनांक 23/[illegible]/92 को जगन्नाथ की विरासत के आधार करा लिया। इसके पश्चात स्व० जगन्नाथ ने खसरा नम्बर 202 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा के 1/4 हिस्सा को अपनी सहमति से जरिये डिक्री दिनांक 12/05/1992 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर अपने भाई गुल्ला पुत्र महादेव के नाम अंकित करवा दिया

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उक्त डिक्री दिनांक 22/5/1992 मु०न० 88/92 वर्तमान मे न्यायालय
राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मे विचाराधीन है। वर्तमान मे उक्त
भूमि मे से जगन्नाथ पुत्र महादेव (अप्रार्थी । ला०13 के पूर्वज) के
हिस्से की 1/2 कृषि भूमि विभाजित होकर राजस्व जमाबन्दी के खाता
संख्या 51 मे ख०न० 274/1 रकबा 0.18 है०, 285 रकबा 0.75 है०,
86 रकबा 0.15 है० 287 रकबा 0.55 व 318 रकबा 0.90 है० के
रूप मे दर्ज हुई है उक्त भूमि विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया
गया है। अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 ला०12 व 13 की नीयत मे
बेईमानी आ गई और वे सम्पूर्ण भूमि को स्वंय की बताने लगे।
दिनांक 10/4/2012 को जब प्रार्थीगण सं. 1 व 2 वादग्रस्त भूमि पर
गये तो कृषि से अकृषि मे परिवर्तित करने के उद्देश्य से अप्रार्थी
सं. 1 ला०13 भूमि पर रोड डालने का प्रयास करने लगे और कहा कि
इस जमीन पर तुम्हारा कोई लेना देना नही है बल्कि 1/2 हिस्सा की
सम्पूर्ण भूमि हमारी ही है इसलिये हमने जमीन सोसायटी वालो को
विक्रय कर रहे है तथा बेदखल कर जबरन कब्जा करने की धमकी
दी। इस कारण प्रार्थीगण प्रा०पत्र स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाकर
निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि
उक्त वादग्रस्त आराजी मे चार दिवारी तथा अन्य निर्माण कार्य नही
किया जावे, न ही किसी अजनबी क्रेता को विशिष्ट भू-भाग क्रय अथवा
हस्तान्तरित किया जावे, प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे कब्जा
काश्त मे कोई मजहमत व दखलदाजी नही की जावे तथा वादग्रस्त
भूमि के रिकार्ड एंव मौके की वर्तमान स्थिति को ता फैसला वाद यथावत
बनाये रखे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण
को जर्ये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण न्यायालय
हाजा मे उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त
इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने मूलचन्द के वारिसान नही है। प्रार्थीगण
मूलचन्द के वारिस होने के कथन को स्वंय साबित करे। खानदान सजरा
भी गलत है। खसरा नम्बर 201 व 202 दोनो खसरो का रकबा 20
बीघा 5 बिस्वा होने का कथन गलत है यह भी गलत है कि जगन्नाथ
पुत्र महादेव का उनमे 2/3 हिस्सा रहा हो। विक्रय पत्र दिनांक 07/07/1975
अवैध, अनाधिकृत व फर्जी है, इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष मे नामान्तकरण
तस्दीक नही किया गया तथा खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण का कभी
भी वादग्रस्त आराजी अथवा उसके अंश पर कोई कब्जा नही रहा है।
वास्तविकता यह है कि जगन्नाथ तथा देवा ख०न० 202 ग्राम जगन्नाथपुरा
की कृषि भूमि पर वर्षो से काबिज काश्त है उक्त ने एक दावा उनवानी
जगन्नाथ व देवा बनाम ग्राम पंचायत [illegible] का
उक्त भूमि का खातेदार, काश्तकार घोषित करने [illegible] हेतु
न्यायालय उपखण्ड जयपुर कोर्ट [illegible]
25/1968 दिनांक 20/5/1969 [illegible] किया जाकर
जगन्नाथ व देवा गुर्जर को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार
घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री की [illegible] व्यथित
द्वारा कोई अपील नही किये जाने के कारण यह अंतिम हो गई थी।
उक्त डिक्री के जरिये उक्त भूमि मे जगन्नाथ व देवा गुर्जर

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested

बराबर-बराबर हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार हो गये अर्थात 10 बीघा ढाई बिस्वा (लगभग) जगन्नाथ व दस बीघा ढाई बिस्वा (लगभग) भूमि हेमा गुर्जर की रही। जगन्नाथ पुत्र महादेव केवल खसरा नम्बर 202 की 10 बीघा ढाई बिस्वा भूमि का ही खातेदार था। इसके अतिरिक्त शेष भूमि पर जगन्नाथ का कोई हक व अधिकार नहीं था प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि जगन्नाथ द्वारा दिनांक 9/7/197 को मूलचन्द तथा प्रभात को ख०न० 202 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा मे उसके 1/3 भाग 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि को विक्रय किया गया है तथा कब्जा दिया गया है। वास्तव मे श्री जगन्नाथ द्वारा मूलचन्द व प्रभात को दिनांक 9/7/75 को कोई भूमि विक्रय नही की गई, ना कब्जा दिया गया दिनांक 9/7/1975 का विक्रय पत्र फर्जी व बनावटी है। जगन्नाथ के भाई गुल्ला से विवाद होने के कारण उससे सुल्हे तथा उसके द्वारा किये गये मुकदमा नम्बर 84/1992 दिनांक 14/5/1992 की पालना मे जगन्नाथ को आधे हिस्से की भूमि गुल्ला पक्ष को देनी पडी थी जो अब गुल्ला के वारिसान के कब्जे व खातेदारी मे है। जगन्नाथ की मृत्यु हो जाने के कारण उसके कब्जे व खातेदारी की लगभग 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि उसके वारिसान के कब्जे व खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है। विशेष कथनानुसार प्रार्थीगण तुलसीराम वगैरह ने पूर्व मे इसी विषय वस्तु पर वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध मे समान अनुतोष मांगते हुए घोषणा व निषेधाज्ञा का एक दावा उनवानी तुलसीराम व अन्य बनाम हीरा व अन्य मुकदमा नम्बर 44/2012 एस.डी.एम कोर्ट जयपुर में प्रस्तुत किया था उक्त मुकदमे मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत टी. आई. प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील सं. 6/2013 भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा 14/4/2013 को खारिज कर दी गई और उस निर्णय की रिवीजन मे रेवेन्यु बोर्ड अजमेर द्वारा दिनांक 24/3/2013 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण ने न्यायालय के अन्य आदेश की अपील भी न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की थी उक्त अपील सं. 234/2012 दिनांक 23/06/2014 को न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा खारिज कर दी गई। उक्त खारिजी के तथ्यो को छिपाते हुए प्रार्थीगण की ओर से पुनः उन्ही आधारो पर एक अपील संख्या 190/2022 न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, परन्तु बाद मे न्यायालय द्वारा चोरी पकड़े जाने पर माफी मांगते हुए प्रार्थीगण ने उक्त अपील को दिनांक 28/3/24 को नोट प्रेस कर लिया [illegible] अर्थ है कि प्रार्थीगण ने उक्त अपील मे वर्णित आधारो का अभित्याग कर दिया [illegible] कारण भविष्य मे वह उक्त आधारो को नही [illegible] एस. डी. एम कोर्ट मे प्रस्तुत मुकदमा [illegible] उनवानी तुलसीराम व अन्य व हीरा व अन्य भी दिनांक [illegible]/2014 को न्यायालय के आदेश की अनुपालना नही करने के कारण खारिज कर दिया गया था, इसलिए उन्ही आधारो व अभिकथनो पर प्रस्तुत वर्तमान

← लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र जिसमें वाद हेतुक दिनांक 10/4/2012 का ही बताया है, इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा सन्तुलन का बिन्दु नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तथा वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रा०पत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15/3/24 को जारी खारिज किये जाने निवेदन किया गया।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात प्रस्तुत, प्रार्थनापत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का बारीकी से अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सर्वप्रथम तदर्थ रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु क्षतिपूर्ति, सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया केस पर विचार किया जाना आवश्यक है जहाँ तक प्रथम दृष्टया वाद होने का प्रश्न है, इस संदर्भ में जो विक्रय पत्र दिनांक 31/7/1975 प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया है इसकी वैधता संदेहप्रद व विवादित है। उसके आधार पर नामान्तकरण भी तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 16/05/1979 को निरस्त किया जा चुका है जिसके उपरान्त अभी तक कोई विपरित विधिक परिस्थिति का प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है विक्रेता जगन्नाथ का विक्रय की गई भूमि में से उसके हिस्से द्वारा दर्शित हिस्सा होने के बारे में भी परिस्थिति स्पष्ट नहीं है। वाद का अंतिम निर्णय तो साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्रावली में तय किया जावेगा। किसी गैर खातेदार द्वारा खातेदार को किसी प्रकार पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसा किये जाने से खातेदार के हक हकूको पर कुठाराघात होगा। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं माना जा सकता; विशेषकर इस परिस्थिति में कि विवादित कृषि भूमि पर उनका वस्तुतः आधिपत्य व काश्त का भी कोई स्थापित प्रमाण नहीं है। अपूर्णनीय क्षति का जहाँ तक संबंध है यह भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती क्योंकि प्रथम दृष्टया आधिपत्य जमाबन्दी के आधार पर विवादित भूमि पर कब्जा, विधिक सामान्य क्रम में माना जाएगा। यह तथ्य भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि [illegible] आधिपत्य व काश्त प्रथम दृष्टया स्थापित है मात्र सैद्धान्तिक [illegible] परिस्थिति के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया और ऐसे आदेश की आड़ में अनावश्यक वाद प्रकरण उत्पन्न होंगे।

उक्त विवेचन के प्रकाश से निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खसरा नं. 202, के हाल ख.नं. 269, 270, 271, 272, 273, 275, 285, 286 287 318 (कुल किता 10 (कुल रकबा 5.07 हे० पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14/05/2024 को दी गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुदा होकर दर्ज नम्बर कम हो; बाद तकमील वाद पत्रावली के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 13/8/2024 को खुले न्यायालय सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested